बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::-

संचिका संख्या-स०क०निग०-90/2023-................./ जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-958/स्था० दिनांक-20.05.2023 एवं पत्रांक-1910/स्था० दिनांक-05.10.2023 द्वारा श्रीमती कुमारी रीना सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पारू, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मोतिहारी ग्रामीण, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध दो आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। जिसमें श्रीमती सिंह के विरूद्ध आंगनबाड़ी केन्द्र सं०-338 पंचायत- गयासपुर के आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विपरीत जाकर मैपिंग पंजी तैयार कराने, चयन कार्य पूर्ण करने के लगभग एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात चयन रद्द करने की अनुशंसा करने, रिक्त केन्द्रों की सूचना प्रकाशित करने की सूची कार्यालय में उपलब्ध रहने परंतु सूचना प्रकाशन से संबंधित निर्गत पत्र कार्यालय में नहीं पाये जाने तथा श्रीमती सिंह द्वारा स्वयं पत्र निर्गत किये जाने, सूचना पंजी में वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर नहीं होने, मैपिंग पंजी में वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर फर्जी पाये जाने आदि आरोपों को प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत अवचार या कदाचार के लांछनों के आधार पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1000 दिनांक-21.02.2024, पत्रांक-4776 दिनांक-27.09.2024, पत्रांक-1785 दिनांक-12.03.2025 एवं पत्रांक-4433 दिनांक-02.06.2025 द्वारा श्रीमती सिंह से लिखित अभिकथन की मॉग की गई।

आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक-242 दिनांक-27.04.2024 एवं पत्रांक-703 दिनांक-17.06.2025 द्वारा अपना लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी रीना सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अन्तर्गत श्रीमती कुमारी रीना सिंह के विरूद्ध उक्त आरोपों की जॉच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से इनके विरूद्ध आरोपों की जॉच की जाय।

(2) इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री भोगेन्द्र नाथ झा, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती कंचन कुमारी गिरी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) श्रीमती कुमारी रीना सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिक दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हों तथा अपने बचाव का लिखित पक्ष प्रस्तुत करें।

(4) श्रीमती कुमारी रीना सिंह को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका-(3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित पक्ष संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करती हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) उनके विरूद्ध एक पक्षीय जॉच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन) सहित श्री भोगेन्द्र नाथ झा, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती कुमारी रीना सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पारू, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मोतिहारी ग्रामीण, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-90/2023 - पटना-15 दिनांक :-

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ श्री भोगेन्द्र नाथ झा, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि :- श्रीमती कंचन कुमारी गिरी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), मुजफ्फरपुर को आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

निबंधित

(3) प्रतिलिपि :- श्रीमती कुमारी रीना सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पारू, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मोतिहारी ग्रामीण, पूर्वी चम्पारण को आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-90/2023- 152 पटना-15 दिनांक :- 09.01.2026

निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/1/26
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।